

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / अकादमिक / अ0म0 / 2025 / 482/1

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत कला संकाय अन्तर्गत अंग्रेजी के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचनाप्रसारणदिनांक से तीनवर्ष की होगी :-

अंग्रेजी अध्ययन मण्डल

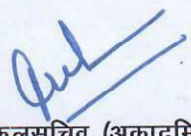
अधिनियम 28(2) एक	1.	प्रो. मृणाल श्रीवास्तव आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
28(2) दो	1.	डॉ. अनिल कुमार सिंह विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, सं.गां.स्मृ. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)
	2.	डॉ. अखिलेश कुमार विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, सं.गां.स्मृ. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.)
28(2) तीन	1.	रिवत
28(2) चार	1.	डॉ. आर. पी. यादव विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.)
	2.	डॉ. अरविन्द गुप्ता विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय जवा, जिला रीवा(म.प्र.)
28(2) पाँच	1.	डॉ. पी.के. जैन शास. महाविद्यालय सतना(म.प्र.)
	2.	डॉ. शालिनीदुबे शास. ठा.र.सिंह महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत प्रो. मृणाल श्रीवास्तव को अंग्रेजी अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म0प्र0)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, कला संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म0प्र0)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)